



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 414]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 25, 2013/फाल्गुन 6, 1934

No. 414]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 25, 2013/PHALGUNA 6, 1934

इस्पात मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2013

क्र.आ. 449(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात् इस्पात एवं इस्पात उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2012 को संशोधित करते हुए एतद्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश को इस्पात एवं इस्पात उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2013 कहा जाएगा।

(2) यह आदेश शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. इस्पात एवं इस्पात उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2012 की अनुसूची में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत में जोड़ा जाएगा, नामतः :—

“स्पष्टीकरण.—सीमा-शुल्क अथवा आबकारी प्राधिकारी सीमा शुल्कों अथवा आबकारी टैरिफ शीटों के अनुसार शुल्क लगाने का निर्णय लेते समय इस आदेश के प्रावधानों का इस्तेमाल कॉलम (1) की अनुरूपी प्रविष्टि के तहत उल्लिखित भारतीय मानक संख्या के अंतर्गत कॉलम (2) की अनुरूपी प्रविष्टि के तहत बताए गए विशेष उत्पादों के लिए करते हैं तथा इस प्रकार के मामले में यह आदेश उन उत्पादों पर लागू नहीं होगा जो कॉलम (3) की अनुरूपी प्रविष्टि के तहत उल्लिखित आईटीसी (एचएस) कोडों के अंतर्गत आते हैं लेकिन कॉलम (1) में उल्लिखित अनुरूपी भारतीय मानकों के तहत नहीं आते हैं।

[फा. सं. 1(3)/2012-टीडब्ल्यू (भाग फाइल)]

डॉ. दलीप सिंह, अपर सचिव

टिप्पण :—मूल आदेश दिनांक 12 मार्च, 2012 को भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना संख्या का.आ. 414(अ), के जरिए अधिसूचित किया गया।

MINISTRY OF STEEL

ORDER

New Delhi, the 15th February, 2013

S.O. 449(E).—In exercise of the powers conferred by Section 14 of the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby makes the following order to amend the Steel and Steel Products (Quality Control) Order, 2012, namely :—

1. (1) This order may be called the Steel and Steel Products (Quality Control) Amendment Order, 2013.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Steel and Steel Products (Quality Control) Order, 2012, in the Schedule, the following Explanation shall be inserted at the end, namely :—

“Explanation.—The Customs or Excise authorities may, while taking a decision on the levy of duty as per the Customs or Excise Tariff Heads, apply the provisions of this Order to the specific products described under corresponding entry under column (2), covered under the Indian Standard number mentioned under corresponding entry under column (1) and in such case this Order shall not apply to those products which falls under the ITC (HS) Codes mentioned in corresponding entry under column (3) but do not fall under the

corresponding Indian Standards mentioned under column (1)."

[F.No. 1(3)/2012-TW (Pt. File)]

Dr. DALIP SINGH, Addl. Secy.

Note :— The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* notification number S.O. 414(E), dated the 12th March, 2012.

आदेश

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2013

का.आ. 450(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात् इस्पात एवं इस्पात उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) द्वितीय आदेश, 2012 को संशोधित करते हुए एतद्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश को इस्पात एवं इस्पात उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) द्वितीय संशोधन आदेश, 2013 कहा जाए।

(2) यह आदेश शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. (क) इस्पात एवं इस्पात उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) द्वितीय आदेश, 2012 की अनुसूची के क्रम संख्या 9 में कॉलम (4) की प्रविष्टि में मद (च) और इससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित मद एवं प्रविष्टियों को जोड़ा जाएगा, नामतः :—

नीचे दी गई मानक सीमा में उत्पाद के शामिल होने की तिथि

(4)

(क) उत्पाद	(ख) निम्न तिथि से लागू
"(च क) 10 एमएम से 80 एमएम की मोटाई और 2500 एमएम अथवा इससे अधिक की चौड़ाई वाली प्लेट	31 मार्च, 2013";

(ख) निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत में जोड़ा जाएगा, नामतः :—

"स्पष्टीकरण.—सीमा-शुल्क अथवा आबकारी प्राधिकारी सीमा-शुल्कों अथवा आबकारी टैरिफ शीटों के अनुसार शुल्क लगाने का निर्णय लेते समय इस आदेश के प्रावधानों का इस्तेमाल कॉलम (1) की अनुरूपी प्रविष्टि के तहत उल्लिखित भारतीय मानक संख्या के अंतर्गत कॉलम (2) की अनुरूपी प्रविष्टि के तहत बताए गए विशेष उत्पादों के लिए करते हैं तथा इस प्रकार के मामले में यह आदेश उन उत्पादों पर लागू नहीं होगा जो कॉलम (3) की अनुरूपी प्रविष्टि के तहत उल्लिखित आईटीसी (एचएस) कोडों के अंतर्गत आते हैं लेकिन कॉलम (1) में उल्लिखित अनुरूपी भारतीय मानकों के तहत नहीं आते हैं।

[फा. सं. 1(7)/2012-टीडब्ल्यू]

डॉ. दलीप सिंह, अपर सचिव

टिप्पण :—मूल आदेश दिनांक 12 मार्च, 2012 को भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना संख्या का.आ. 415(अ), के जरिए अधिसूचित किया गया तथा बाद में इसे अधिसूचना संख्या का.आ. 2128(अ), दिनांक 10 सितम्बर, 2012 और का.आ. 2510(अ), दिनांक 17 अक्टूबर, 2012 के जरिए संशोधित किया गया।

ORDER

New Delhi, the 15th February, 2013

S.O. 450(E).—In exercise of the powers conferred by Section 14 of the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby makes the following order further to amend the Steel and Steel Products (Quality Control) Second Order, 2012, namely :—

1. (1) This order may be called the Steel and Steel Products (Quality Control) Second (Amendment) Order, 2013.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. (a) In the Steel and Steel Products (Quality Control) Second Order, 2012, in the Schedule, against serial number 9, in the entries under column (4), after item (f) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be inserted, namely :—

Date of coming into force of the product in the standard to the extent given below

(4)

(A) Product	(B) With effect from
"(fa) Plate of thickness of 10 mm to 80 mm and width of 2500 mm or more	31st March, 2013";

(b) the following Explanation shall be inserted at the end, namely :—

"Explanation.—The Customs or Excise authorities may, while taking a decision on the levy of duty as per the Customs or Excise Tariff Heads, apply the provisions of this Order to the specific products described under corresponding entry under column (2), covered under the Indian Standard number mentioned under corresponding entry under column (1) and in such case this Order shall not apply to those products which falls under the ITC (HS) Codes mentioned in corresponding entry under column (3) but do not fall under the corresponding Indian Standards mentioned under column (1)."

[F.No. 1(7)/2012-TW]

Dr. DALIP SINGH, Addl. Secy.

Note :— The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* notification number S.O. 415(E), dated the 12th March, 2012 and subsequently amended *vide* notification numbers S.O. 2128(E), dated the 10th September, 2012 and S.O. 2510(E), dated the 17th October, 2012.